रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01032023-243991
**CG-DL-E-01032023-243991**

**असाधारण**
**EXTRAORDINARY**

**भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)**
**PART II—Section 3—Sub-section (ii)**

**प्राधिकार से प्रकाशित**
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

| | |
|---|---|
| **सं. 910]** | **नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2023/फाल्गुन 10, 1944** |
| **No. 910]** | **NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2023/PHALGUNA 10, 1944** |


**वित्त मंत्रालय**

**(राजस्व विभाग)**

**(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2023

**का.आ. 947(अ).—**केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एततद्वारा 'भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड', नई दिल्ली (पैन-एएएजीआई 0193के), केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित एक बोर्ड, को इस बोर्ड को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात:-

(क) केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान;

(ख) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के अन्तर्गत प्राप्त शुल्क;

(ग) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के अन्तर्गत संग्रहीत किया गया जुर्माना; तथा

(घ) उपरोक्त (क), (ख) तथा (ग) पर अर्जित ब्याज आय।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्याधीन प्रभावी होगी कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, नई दिल्ली-

(क) किसी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) वित्तीय वर्षों के दौरान गतिविधि तथा निर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खण्ड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर विवरणी फाईल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्षों 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 तथा 2026-2027 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 09/2023/फा. सं. 300196/39/2021-आईटीए-I]

सौरभ जैन, अवर सचिव